उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 पिटीसन वाद सं0 94/2020–21

हरि प्रसाद साह..आवेदक

बनाम

कमल साह..विपक्षी

आदेश

14.09.2021

यह रे0मि0 पिटीसन आवेदक हरि प्रसाद साह एवं महेन्द्र साह पिता–स्व0 डोमन साह मेन रोड, दुमका मरवाड़ी गर्ल हाई स्कूल के सामने, दुमका के द्वारा दायर आवेदन के आधार पर प्रारंभ किया गया है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में अनुरोध किया गया है कि मौजा दुमका टाउन के जमाबंदी सं0–16/6 के अन्तर्गत मकान दाग नं0–1565,1566, एवं 2133 रकवा 0–9–12 धूर तथा जमाबंदी सं0–16/2 के अन्तर्गत दाग सं0–1538 एवं 2128 कुल रकवा 7 कट्ठा 12 धूर जमीन को विपक्षी कमल साह एवं अन्य द्वारा भूमि माफिया के साथ निबंधन करवाया जा रहा है। इस संबंध में जिला अवर निबंधक, दुमका को निदेश दिया जाय कि विपक्षी द्वारा किया जा रहा भू–माफिया के साथ किया जा रहा निबंधन नहीं किया जाय।

इस संबंध में उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा अपने आवेदन के संबंध में कोई कागजात/साक्ष्य या पुष्ट सूचना दाखिल नही किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो कि विपक्षियों द्वारा प्रश्नगत जमींन का जिला अवर निबंधन कार्यालय में निबंधन किया गया है अथवा किया जा रहा है। इस संबंध में कोई आदेश भी निर्गत नही है। आवेदक के मात्र मौखिक दावा के आलोक में आवेदन पर किसी प्रकार का Pre-emptive आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक के आवेदन को खारीज किया जाता है।

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.07 14:23:43 +05:30
Location: 169.254.227.244

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।